



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-149

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 266393 दिनांक 12/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Urmila Agrawal W/o BIJENDRA KUMAR AGRAWAL	श्री रामकिशोर पुत्र श्री हरि नारायण	89	50.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE BHAMBORI YA) Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	(1) श्री रामकिशोर पुत्र श्री हरि नारायण द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री लादूराम मीणा पुत्र श्री छोदूराम मीणा को विक्रय कर दी गई। (2) श्री लादूराम मीणा पुत्र श्री छोदूराम मीणा द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्रीमती शीला गुप्ता पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता को विक्रय कर दी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गई। (3) श्रीमती शीला गुप्ता पत्नी श्री ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्रीमती उर्मिला अग्रवाल पत्नी श्री बिजेन्द्र कुमार अग्रवाल को विक्रय कर दी गई।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Urmila Agrawal W/o BIJENDRA KUMAR AGRAWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |